

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल—dir-pen-rj@nic.in, दूरभाष न. 0141-2740538, 2741687
वेबसाईट:— rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक:— निपेवि/पीसी/ई-कुबेर/2020-21

प्रबन्ध निदेशक/महा प्रबन्धक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक,
बैंक ऑफ बडौदा, यूको बैंक, इंडियन बैंक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
जयपुर।

1781-1789-K दिनांक:—
17-12-21

विषय:— राजस्थान सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से माह दिसम्बर की पेंशन (जो 01.01.2022 से देय होती है) का भुगतान बैंक द्वारा दिनांक 01.01.2022 से बंद करने के संबंध में जारी आदेश निरन्तरता में आवश्यक सूचना 21.12.2021 तक प्रेषित करने बाबत।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार ने पत्र क्रमांक प. 10(11)वित्त/राजस्व/2015/लूज दिनांक 16.12.2021 (~~प्रतिबन्धित~~) द्वारा निर्देशित किया है कि माह दिसम्बर 2021 की देय पेंशन जो दिनांक 01.01.2022 को वितरित की जावेगी, को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के स्थान पर पे-मैनेजर के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा ही वितरित किया जाएगा।

उपरोक्त निर्देशों की पालना में आपको पहले ही सूचित किया गया है कि राजस्थान सरकार के पेंशनर्स को माह दिसम्बर 2021 की देय पेंशन का भुगतान बैंकों द्वारा स्वयं के स्तर से नहीं किया जावे, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त भुगतान पे-मैनेजर के माध्यम से किया जावेगा। इसकी निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा पेंशन राशि के वितरण के लिए निम्नांकित प्रारूप में पेंशनर्स की सूचना 21.12.2021 को दोपहर 2.00 बजे तक आवश्यक रूप से ई-मेल एड्रेस PRADEEPMATHUR.FIN@rajasthan.gov.in पर भिजवाने का अनुरोध करावे:—

Name of pensioner	Name of original pensioner	Pensioner Email ID	Date of Birth of pensioner	Aadhar no.	Pan no.	Date of retirement /death	PPO/FPPO No.	Mobile No.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

भवदीय


(संजय सोलंकी)
निदेशक
15/12/21